

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2017/1535

भोपाल, दिनांक 11/05/2017

प्रति,

- 1/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
- 2/ समस्त जिला आयुष अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद/यूनानी औषधालय के संचालन हेतु दिशानिर्देश।

- संदर्भ :-
1. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 2016 ।
 2. आयुष विभाग का आदेश क्रमांक एफ 2-8/2016/1/59 दिनांक 27.01.2017 ।
 3. आयुष विभाग का आदेश एफ 2-8/2016/1/59 दिनांक 03.02.2017 ।
 4. आयुष विभाग का आदेश एफ 2-8/2016/1/59 दिनांक 31.03.2017 ।

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक , यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 2016 , विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा असाधारण राजपत्र में दिनांक 12 जनवरी 2017 को प्रकाशित किया गया है।

2/ आयुष विभाग द्वारा मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 02.12.2016 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश क्रमांक एफ 2-8/2016/1/59 दिनांक 27.01.2017 जारी किया गया है। आदेश में एलोपैथी चिकित्सक विहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित प्रशिक्षण उपरांत आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ आयुर्वेद/यूनानी औषधालय के सह-स्थापन की कार्यवाही किए जाने का आदेश है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

3/ उक्त आदेश अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों को को-लोकेशन उपरांत प्रत्येक प्राथमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम-से-कम एक चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित किया जाना है।

4/ आयुष विभाग के आदेश एफ 2-8/2016/1/59 दिनांक 03.02.2017 द्वारा 91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/आयुर्वेद औषधालयों को सह-स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार समसंख्य आदेश दिनांक 31.03.2017 में 130 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों को सह स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। अतः कुल 130 व 89 कुल 219 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सह स्थापित करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सह-स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. शासन आदेश क्रमांक 2-8/2016/1/59 दिनांक 02.02.2017 में उल्लेखित 91 में से 89 (सरल क्र. 26 एवं 89 विलोपित) एवं आदेश दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित 130 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम परिवर्तित कर " एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह-आयुर्वेद या यूनानी (जो भी मूल रूप से सह स्थापित किया गया है) औषधालय " किया जाय।

निरंतर.....2

2. वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में, आयुष चिकित्सक , स्टॉफ एवं स्टोर हेतु आवश्यकतानुसार कमरे/जगह उपलब्ध कराई जावे।
3. एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में यदि आयुष चिकित्सक , एकमात्र चिकित्सक पदस्थ है तो, सेक्टर निरीक्षण हेतु उपलब्धता अनुसार विभाग का वाहन प्रदान किया जावे।
4. एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एकमात्र आयुष चिकित्सक पदस्थ होने की स्थिति में , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग के कर्मचारी, उक्त चिकित्सक के दिशा निर्देश अनुसार कार्य संपादन करेंगे।
5. आयुष विभाग के संलग्न आदेश दिनांक 27.01.2017, 03.02.2017 एवं 31.03.2017 में उल्लेखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु जारी आदेशों के परिपालन में, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश /मार्गदर्शन जारी करेंगे। उक्त कार्यवाही शीघ्र की जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

भोपाल, दिनांक 11/05/2017

पृ०क्र./०१ जी/विज्ञप्त/सेल-०५/ २०१७/१५५६

प्रतिलिप:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
- 02 विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 03 प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
- 04 प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
- 05 आयुक्त आयुष विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल, म०प्र०।
- 06 मिशन संचालक(एन०एच०एम०), जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
- 07 समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
- 08 समस्त संभागीय आयुष अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- 09 आदेश नस्ती।



अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

म०प्र०

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

दिनांक 27/01/2017

क्रमांक एफ 2-8/2016/1/59: मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 02/12/2016 अनुसार द्वारा प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता की दृष्टि से चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों का सहस्थापन करके उनमें पदस्थ आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को निर्धारित प्रशिक्षण उपरान्त आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) पद्धति में सीमित चिकित्सा की अनुमति दी गयी है। इस हेतु 1970 आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 33(iv) एवं म0प्र0 आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24(i) में संशोधन किया गया है।

2/- उक्त निर्णय के अनुक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही निम्नानुसार संपादित की जाये-

2.1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग (संयुक्त)-

2.1.1 एलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित प्रशिक्षण उपरान्त आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ आयुर्वेद/यूनानी औषधालय के सह-स्थापन की कार्यवाही निम्न आधार पर की जाये -

अ- यदि एक ही स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुर्वेद/यूनानी औषधालय उपलब्ध है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन हो तो दोनों संस्थाओं को सह-स्थापित कर एक ही छत के नीचे दोनों विधाओं से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

ब- एक ही स्थान पर यदि आयुर्वेद व यूनानी औषधालय स्थित हैं तो उनमें से एक औषधालय को निकटतम स्थित चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सह-स्थापित किया जाये।

2.1.2 ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों को सह-स्थापित किया जायेगा, उनका नामकरण "एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह-आयुर्वेद/यूनानी (जो भी मूल रूप से सह-स्थापित किया गया हो) औषधालय" किया जाये।

2.1.3 जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्तानुसार जानकारी प्रदर्शित की जाने की दृष्टि से ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को "इन्टीग्रेटेड प्राथमरी हेल्थ केयर केन्द्र" के रूप में विकसित किया जाये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

2.1.4 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक संस्था में कम-से-कम एक चिकित्सक की सेवायें अवश्य उपलब्ध हों। यदि को-लोकेशन के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये बी.ए.एम.एस. चिकित्सकों को संविदा पर नियुक्ति दी जावे एवं संक्षिप्त प्रशिक्षण उपरान्त उन्हें ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ किया-जाये।

2.1.5 इस हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन भी किया जाये। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निरामित एलोपैथिक चिकित्सक पदस्थ होने पर ये अस्थायी पद समाप्त किये जाये। आवश्यकतानुसार बी.ए.एम.एस. चिकित्सकों की नियुक्ति संविदा पर की जाये।

2.1.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सह-स्थापित आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों में पदस्थ आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद/यूनानी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। एलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सह-स्थापित आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों में पदस्थ "प्राथमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग" मॉड्यूल में प्रशिक्षित आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों द्वारा एलोपैथी संबंधी सेवायें निर्धारित दवाइयों की सीमा तक दी जावेंगी। यह एलोपैथी संबंधी सेवायें उपरोक्त मॉड्यूल में प्रशिक्षित आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों द्वारा केवल उक्त पदस्थापना (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर) अवधि तक ही दी जायेंगी।

2.1.7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध होने पर भी सह-स्थापित आयुर्वेद/यूनानी औषधालय पूर्ववत् संचालित रहेंगे तथा पूर्व से पदस्थ आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सक उसी छत के नीचे अपनी विधा में चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायेंगे।

3/- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग -

3.1 "प्राथमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग" मॉड्यूल में प्रशिक्षण उपरान्त निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ऐसे चिकित्सकों को सीमित एलोपैथी चिकित्सा में प्रशिक्षित व अधिकृत होने का संपूर्ण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सटीक रूप से प्रयत्न किया जाये तथा एलोपैथी प्रशिक्षण से आने वाले व्यय का वहन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपने बजट से किया जाये।

3.2 ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की धारा 2(ee) (iii) के तहत आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों को प्रशिक्षण की सीमा तक एलोपैथी उपचार की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धित आदेश जारी किया जाये।

4/- आयुष विभाग -


4.1 नवनियुक्त आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को एलोपैथी के निर्धारित प्रशिक्षण उपरान्त इन सह-स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ किया जाये।

4.2 सह-स्थापित संस्थाओं में पदस्थ आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों का यथासंभव स्थानान्तरण न किया जाये। अतिविशेष परिस्थितियों में यदि स्थानान्तरण आवश्यक हो तो आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अवगत कराते हुए समान रूप से प्रशिक्षण (एलोपैथी) प्राप्त चिकित्सकों की पदस्थापना के बाद ही स्थानान्तरण किया जाये।

4.3 सह-स्थापित आयुर्वेद/यूनानी संस्थाओं में पदस्थ अमले का प्रशासकीय नियंत्रण पूर्ववत आयुष विभाग के मास रहेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कमशः लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग का आवश्यकतानुसार नियंत्रण रहेगा।

4.4 आयुष विभाग में सीधी भर्ती के अलिपिकीय रिक्त पदों की पूर्ति के लिये 05 प्रतिशत के प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाये।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(शिखा दुबे)
प्रमुख सचिव
म०प्र० शासन
आयुष विभाग



(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
म०प्र० शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग



(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
म०प्र० शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ। 2-8/2016/1/59:


भोपाल, दिनांक 27/01/2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म०प्र० शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विन्धोचल भवन, भोपाल।

(4)

5. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष / चिकित्सा शिक्षा / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार, म०प्र० आयुर्विज्ञान परिषद्, सॉची कॉम्पलेक्स, एम०पी० नगर, भोपाल।
10. रजिस्ट्रार, म०प्र० आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, बेतवा अपार्टमेन्ट, टी०टी० नगर, भोपाल।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला -
12. समस्त जिला आयुष अधिकारी, जिला -


(पी०आर० कतरौलिया)
उप सचिव
म०प्र० शासन
आयुष विभाग

मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

मंत्रालय

//आदेश//

8

भोपाल दिनांक 03.02.2017

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2-8/2016/1/59 दिनांक 27.01.2017 के अनुक्रम में एलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित प्रशिक्षण उपरांत आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद/यूनानी एवं सीमित सीमा तक एलोपैथी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नानुसार आयुर्वेद औषधालयों को उनके सम्मुख अंकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सह-स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	जिला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	आयुर्वेद औषधालय का नाम
1	बैतूल	मांडवी	मांडवी
2	बैतूल	मोरखा	मोरखा
3	बैतूल	बोरगांव	बोरगांव
4	बैतूल	खामला	खामला
5	बैतूल	दामजीपुरा	दामजीपुरा
6	बैतूल	मासौद	मासौद
7	हरदा	सोनतलाई	सोनतलाई
8	होशंगाबाद	शिवपुर	शिवपुर
9	विदिशा	उदयपुर	उदयपुर
10	विदिशा	वर्धा	वर्धा
11	अशोकनगर	अथाईखेड़ा	अथाईखेड़ा
12	भिण्ड	पीपरी	पीपरी
13	भिण्ड	मछण्ड	मछण्ड
14	गुना	तैलीगांव	तैलीगांव
15	गुना	फतेहगढ़	फतेहगढ़
16	ग्वालियर	पाटई	पाटई
17	शिवपुरी	खरैह	खरैह
18	शिवपुरी	छर्च	छर्च
19	अलीराजपुर	बर्झर	बर्झर
20	अलीराजपुर	झीरण	झीरण
21	अलीराजपुर	फूलमाला	फूलमाला
22	धार	काछी बड़ोदा	काछी बड़ोदा
23	धार	सुन्देल	सुन्देल
24	धार	डेहरी	डेहरी
25	खण्डवा	सिहाड़ा	सिहाड़ा
26	खण्डवा	अदूरखोस	अदूरखोस

क्र.सं.	उपखण्ड	उपखण्ड	उपखण्ड
28	अरुणान	काटकूट	काटकूट
29	बालाघाट	चरेगांव	चरेगांव
30	बालाघाट	रजेगांव	रजेगांव
31	बालाघाट	मोहगांव (धपेरा)	मोहगांव
32	बालाघाट	कारंजा	कारंजा
33	छिन्दवाड़ा	उमरेठ	उमरेठ
34	छिन्दवाड़ा	बड़चिचोली	बड़चिचोली
35	छिन्दवाड़ा	मोरडोंगरी	मोरडोंगरी
36	छिन्दवाड़ा	सोंसर	सोंसर
37	छिन्दवाड़ा	बेरडी	बेरडी
38	छिन्दवाड़ा	पंधराखेड़ी	पंधराखेड़ी
39	छिन्दवाड़ा	रंगारी	रंगारी
40	छिन्दवाड़ा	मोहगांव	मोहगांव
41	जबलपुर	बधराजी	बधराजी
42	जबलपुर	बोरिया	बोरिया
43	कटनी	बचैया	बचैया
44	कटनी	स्लीमनाबाद	स्लीमनाबाद
45	कटनी	सिलौड़ी	सिलौड़ी
46	कटनी	सिंगोड़ी	सिंगोड़ी
47	कटनी	बिलहरी	बिलहरी
48	मण्डला	टाटरी	टाटरी
49	मण्डला	चिरईडोंगरी	चिरईडोंगरी
50	नरसिंहपुर	सिहोरा	सिहोरा
51	सिवनी	धोबीसर्ग	धोबीसर्ग
52	सिवनी	बखारी	बखारी
53	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
54	सिवनी	आदेगांव	आदेगांव
55	सिवनी	कुडारी	कुडारी
56	रीवा	टीकर	टीकर
57	सतना	भीष्मपुर	भीष्मपुर
58	सतना	ताला	ताला
59	उमरिया	बिलासपुर	बिलासपुर
60	छतरपुर	बाजना	बाजना
61	दमोह	नोहटा	नोहटा
62	दमोह	सर्ग	सर्ग
63	पन्ना	कल्दा	कल्दा
64	सागर	भानगढ़	भानगढ़
65	सागर	रजवाँस	रजवाँस
66	सागर	छुल्ला	छुल्ला

67	टीकमगढ़	चंदेरा	चंदेरा
68	नीमच	चिताखेड़ा	चिताखेड़ा
69	शाजापुर	अवंतीपुर बड़ोदिया	अवंतीपुर बड़ोदिया
70	शाजापुर	मक्सी	मक्सी
71	शाजापुर	गुलाना	गुलाना
72	शाजापुर	शुजालपुर मंडी	शुजालपुर मंडी
73	शाजापुर	तिलावदनैना	तिलावदनैना
74	शाजापुर	अर्नियाकला	अर्नियाकला
75	उज्जैन	कायथा	कायथा
76	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़
77	राजगढ़	करेड़ी	करेड़ी
78	राजगढ़	ठोड़ी	ठोड़ी
79	राजगढ़	उदनखेड़ी	उदनखेड़ी
80	मंदसौर	पिपलयामण्डी	पिपलयामण्डी
81	मंदसौर	चंदवासा	चंदवासा
82	मंदसौर	नगरी	नगरी
83	डिण्डोरी	शहपुरा	शहपुरा
84	बड़वानी	राजपुर	राजपुर
85	शहडोल	उफरी	उफरी
86	शहडोल	मोहखेड़ा आखेटपुर	मोहखेड़ा (देवमढ़) - 2/3/23
87	रायसेन	मण्डीदीप	मण्डीदीप
88	रायसेन	बरेली	बरेली
89	रायसेन	सलामतपुर	सलामतपुर 2/3/23
90	देवास	कन्नौद	कन्नौद
91	रतलाम	बिरमावल	बिरमावल

2/ ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नामकरण "एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद या यूनानी औषधालय" किया जाये।

3/ जनहित में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्तानुसार जानकारी प्रदर्शित की जाने की दृष्टि से ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों को "इन्टीग्रेटेड प्राथमरी हेल्थ केयर केन्द्र" के रूप में विकसित किया जाये एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(शिखा दुबे)
प्रमुख सचिव
म०प्र० शासन
आयुष विभाग



(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
म०प्र० शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठांक नं. एफ. 2-8/2016/1/59

भोपाल दिनांक 03/02/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की ओर, मान. मुख्यमंत्री दिनांक 25.01.2017 को आयोजित बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान. मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, समन्वय की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त आयुष की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित जिला आयुष अधिकारी जिला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित सी.एम.एच.ओ. जिला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

मंत्रालय

12

//आदेश//

भोपाल दिनांक 31/10/2017

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2-87201671/59 दिनांक 27.01.2017 के अनुक्रम में एलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित प्रशिक्षण उपरांत आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद/यूनानी एवं सीमित सीमा तक एलोपैथी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नानुसार आयुर्वेद औषधालयों को उनके सम्मुख अंकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सह-स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	जिला	आयुष औषधालय कहां से शिफ्ट	पी.एच.सी. का नाम
ग्वालियर संभाग			
1	श्योपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. ढोढर	पी.एच.सी. ढोढर
2	मुरैना	शासकीय आयुर्वेद औष. रिठौरा कला	पी.एच.सी. रिठौरा कला
3	मुरैना	शासकीय आयुर्वेद औष. टेटरा	पी.एच.सी. टेटरा
4	भिण्ड	शासकीय आयुर्वेद औष. गोरमी	पी.एच.सी. गोरमी
5	भिण्ड	शासकीय आयुर्वेद औष. ऐतहार	पी.एच.सी. ऐतहार
6	भिण्ड	शासकीय आयुर्वेद औष. कनेरा	पी.एच.सी. कनेरा
7	ग्वालियर	शासकीय आयुर्वेद औष. उटीला	पी.एच.सी. उटीला
8	शिवपुरी	शासकीय आयुर्वेद औष. मुहारी	पी.एच.सी. मुहारी
9	शिवपुरी	शासकीय आयुर्वेद औष. मगरोनी	पी.एच.सी. मगरोनी
10	शिवपुरी	शासकीय आयुर्वेद औष. सिरसौद (पोहरी)	पी.एच.सी. पोहरी
11	शिवपुरी	शासकीय आयुर्वेद औष. सिरसौद (करैरा)	पी.एच.सी. सिरसौद (करैरा)
12	अशोकनगर	शासकीय आयुर्वेद औष. मल्हारगढ़	पी.एच.सी. मल्हारगढ़
13	अशोकनगर	शासकीय आयुर्वेद औष. राजपुर	पी.एच.सी. राजपुर
सागर संभाग			
14	टीकमगढ़	शासकीय आयुर्वेद औष. जेरोन	पी.एच.सी. जेरोन
15	टीकमगढ़	शासकीय आयुर्वेद औष. तरीचरकला	पी.एच.सी. तरीचरकला
16	टीकमगढ़	शासकीय आयुर्वेद औष. मोहनगढ़	पी.एच.सी. मोहनगढ़
17	पन्ना	शासकीय आयुर्वेद औष. इटवाकला	पी.एच.सी. इटवाकला
18	सागर	शासकीय आयुर्वेद औष. सीहोरा	पी.एच.सी. सीहोरा
19	सागर	शासकीय आयुर्वेद औष. बाहपुर	पी.एच.सी. बाहपुर
20	सागर	शासकीय आयुर्वेद औष. बांदरी	पी.एच.सी. बांदरी
21	सागर	शासकीय आयुर्वेद औष. बरोदिया कला	पी.एच.सी. बरोदिया कला
22	सागर	शासकीय आयुर्वेद औष. बिलहरा	पी.एच.सी. बिलहरा
23	बकोह	शासकीय आयुर्वेद औष. मडियादो	पी.एच.सी. मडियादो

(Handwritten Signature)

क्र.	जिला	आयुष औषधालय कहां से शिफ्ट	पी.एच.सी. का नाम
24	दमोह	शासकीय आयुर्वेद औष. हिनोता कला	पी.एच.सी. हिनोता कला
25	दमोह	शासकीय आयुर्वेद औष. कुम्हारी	पी.एच.सी. कुम्हारी
26	दमोह	शासकीय आयुर्वेद औष. अभांना	पी.एच.सी. अभांना
27	दमोह	शासकीय आयुर्वेद औष. बांदकपुर	पी.एच.सी. बांदकपुर
28	छतरपुर	शासकीय आयुर्वेद औषधालय सरवई	पी.एच.सी. सरवई
29	छतरपुर	शासकीय आयुर्वेद औषधालय खजुराहो	पी.एच.सी. खजुराहो
रीवा संभाग			
30	रीवा	शासकीय आयुर्वेद औष. गुढ़ (एन.पी.)	पी.एच.सी. गुढ़ (एन.पी.)
31	रीवा	शासकीय आयुर्वेद औष. मनगवां	पी.एच.सी. मनगवां
32	रीवा	शासकीय आयुर्वेद औष. रगोली	रगोली सिमरिया
33	रीवा	शासकीय आयुर्वेद औष. बैकुण्ठपुर	पी.एच.सी. बैकुण्ठपुर
34	रीवा	शासकीय आयुर्वेद औष. बरौ	पी.एच.सी. बरौ
35	सीधी	शासकीय आयुर्वेद औष. मूर्ईमाढ़	पी.एच.सी. मूर्ईमाढ़
36	सीधी	शासकीय आयुर्वेद औष. पोखरा	पी.एच.सी. पोखरा
37	सीधी	शासकीय आयुर्वेद औष. अमरपुर	पी.एच.सी. अमरपुर
38	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. सरसी	पी.एच.सी. सरसी
39	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. खैरहा	पी.एच.सी. खैरहा
40	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. केशवाही	पी.एच.सी. केशवाही
41	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. झींकबिजुरी	पी.एच.सी. झींकबिजुरी
42	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. खन्नौधी	पी.एच.सी. खन्नौधी
43	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. बनसुकली	पी.एच.सी. बनसुकली
44	शहडोल	शासकीय आयुर्वेद औष. बराछ	पी.एच.सी. बराछ
45	सतना	शासकीय आयुर्वेद औष. मुकुन्दपुर	पी.एच.सी. मुकुन्दपुर
46	सिंगरौली	शासकीय आयुर्वेद औष. माड़ा	पी.एच.सी. माड़ा
47	सिंगरौली	शासकीय आयुर्वेद औष. सरई	पी.एच.सी. सरई
48	सिंगरौली	शासकीय आयुर्वेद औष. खुटार	पी.एच.सी. खुटार
49	अनूपपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. बिजुरी	पी.एच.सी. बिजुरी
इन्दौर संभाग			
50	इन्दौर	शासकीय आयुर्वेद औष. निरंजनपुर	पी.एच.सी. निरंजनपुर
51	इन्दौर	शासकीय आयुर्वेद औष. गवलीपलासिया	पी.एच.सी. गवलीपलासिया
52	इन्दौर	शासकीय आयुर्वेद औष. खजराना	पी.एच.सी. सीडी खजराना
53	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. धर्मराय	पी.एच.सी. धर्मराय
54	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. सरदारपुर	पी.एच.सी. सरदारपुर
55	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. राजोद	पी.एच.सी. राजोद
56	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. ढेल्या	पी.एच.सी. ढेल्या
57	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. टाण्डा	पी.एच.सी. टाण्डा
58	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. लाहारा	पी.एच.सी. लाहारा
59	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. खण्डलाई	पी.एच.सी. खण्डलाई
60	धार	शासकीय आयुर्वेद औष. बाकानेर	पी.एच.सी. बाकानेर
61	बड़वानी	शासकीय आयुर्वेद औष. भदली	पी.एच.सी. भदली
62	बड़वानी	शासकीय आयुर्वेद औष. गंधावल	पी.एच.सी. गंधावल
63	बड़वानी	शासकीय आयुर्वेद औष. चाचरिया पाटी	पी.एच.सी. चाचरिया पाटी


14

क्र.	जिला	आयुष औषधालय कहां से शिफ्ट	पी.एच.सी. का नाम
64	झाबुआ	शासकीय आयुर्वेद औष. उमरकोट	पी.एच.सी. उमरकोट
65	झाबुआ	शासकीय आयुर्वेद औष. समोई	पी.एच.सी. समोई
66	अलीराजपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. सेजावाड़ा	पी.एच.सी. भावरा
67	अलीसजपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. सौरवा	पी.एच.सी. सौरवा
उज्जैन संभाग			
68	उज्जैन	शासकीय आयुर्वेद औष. लोहाना	पी.एच.सी. लोहाना
69	उज्जैन	शासकीय आयुर्वेद औष. पिपलोदा द्वरकाधीश	पी.एच.सी. पिपलोदा द्वरकाधीश
70	उज्जैन	शासकीय आयुर्वेद औष. घट्टिया	पी.एच.सी. घट्टिया
71	मंदसौर	शासकीय आयुर्वेद औष. नावली	पी.एच.सी. नावली
72	नीमच	शासकीय आयुर्वेद औष. कदवासा	पी.एच.सी. कदवासा
भोपाल संभाग			
73	भोपाल	शासकीय आयुर्वेद औष. रुनाहा	पी.एच.सी. रुनाहा
74	विदिशा	शासकीय आयुर्वेद औष. अहमदपुर	पी.एच.सी. अहमदपुर
75	विदिशा	शासकीय आयुर्वेद औष. हैदरगढ़	पी.एच.सी. हैदरगढ़
76	विदिशा	शासकीय आयुर्वेद औष. कुल्हार	पी.एच.सी. कुल्हार
77	बैतूल	शासकीय आयुर्वेद औष. बारव्ही	पी.एच.सी. बारव्ही
78	बैतूल	शासकीय आयुर्वेद औष. भौरा	पी.एच.सी. भौरा
79	बैतूल	शासकीय आयुर्वेद औष. आमला	पी.एच.सी. आमला
80	बैतूल	शासकीय आयुर्वेद औष. पाटाखेड़ा	पी.एच.सी. पाटाखेड़ा
81	होशंगाबाद	शासकीय आयुर्वेद औष. केसला	पी.एच.सी. केसला
82	होशंगाबाद	शास. आयुर्वेद औष. गुनौरा	पी.एच.सी. सेमरी हरचन
83	होशंगाबाद	शास. आयुर्वेद औष. रोहना	पी.एच.सी. बाबई
84	होशंगाबाद	शास. आयुर्वेद औष. बीकोर	पी.एच.सी. बाधड़ातवा
85	होशंगाबाद	शास. आयुर्वेद औष. गजपुर	पी.एच.सी. गुरा
86	होशंगाबाद	शास. आयुर्वेद औष. शोभापुर	पी.एच.सी. शोभापुर
87	होशंगाबाद	शास. आयुर्वेद औष. खापरखेड़ा	पी.एच.सी. ताड़िया
88	होशंगाबाद	शासकीय आयुर्वेद औष. मिसरोद	पी.एच.सी. मिसरोद
89	होशंगाबाद	शासकीय आयुर्वेद औष. उमरधा	पी.एच.सी. उमरधा
90	हरदा	शास. आयुर्वेद औष. रासातलई	पी.एच.सी. रनहाईकला
91	हरदा	शास. आयुर्वेद औष. चारुआ	पी.एच.सी. मसनगांव
92	हरदा	शास. आयुर्वेद औष. छिदगांव	पी.एच.सी. छिदगांव
93	हरदा	शास. आयुर्वेद औष. टेमागांव	पी.एच.सी. टेमागांव
जबलपुर संभाग			
94	जबलपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. इन्द्राणा	पी.एच.सी. इन्द्राणा
95	जबलपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. चंकी	पी.एच.सी. चंकी
96	जबलपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. सिंगौद	पी.एच.सी. सिंगौद
97	जबलपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. बलखेड़ा	पी.एच.सी. बलखेड़ा
98	नरसिंहपुर	शासकीय आयुर्वेद औष. चीचली	पी.एच.सी. चीचली
99	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. झामर	पी.एच.सी. मलाह पिपरिया

15

क्र.	जिला	आयुष औषधालय कहां से शिफ्ट	पी.एच.सी. का नाम
100	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. उमरिया चिनकी	पी.एच.सी. केरपानी
101	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. रीछई	पी.एच.सी. राजमार्ग
102	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. मर्रावन	पी.एच.सी. खुलरी
103	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. भौरा	पी.एच.सी. भामा
104	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. भौरझिर	पी.एच.सी. बोहानी
105	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. रम्पुरा	सी.एच.सी. तेंदूखेड़ा
106	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. बिलथारी	पी.एच.सी. डोभी
107	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. लिलवानी	पी.एच.सी. गाडरवाड़ा
108	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. कल्याणपुर	पी.एच.सी. शाहपुर
109	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. भैरोपुर	पी.एच.सी. आमगांव
110	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. सिंहपुर छेटा	पी.एच.सी. बारहबड़ा
111	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. तूमड़ा	पी.एच.सी. मुशरान पिपरिया
112	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. पिपरिया उड़नी	पी.एच.सी. चावरपाठा
113	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. मडगुला	पी.एच.सी. सांईखेड़ा
114	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. वनवारी	पी.एच.सी. पलोहाबड़ा
115	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. चंदनखेड़ा	पी.एच.सी. बरेहटा
116	नरसिंहपुर	शास. आयुर्वेद औष. भैंसा राकी	पी.एच.सी. श्रीनगर
117	कटनी	शासकीय आयुर्वेद औष. उमरियापान	पी.एच.सी. उमरियापान
118	कटनी	शासकीय आयुर्वेद औष. देवरी हटाई	पी.एच.सी. देवरी हटाई
119	कटनी	शासकीय आयुर्वेद औष. बड़गांव	पी.एच.सी. बड़गांव
120	कटनी	शासकीय आयुर्वेद औष. ढीमरखेड़ा	पी.एच.सी. ढीमरखेड़ा
121	मण्डला	शासकीय आयुर्वेद औष. महाराजपुर	पी.एच.सी. महाराजपुर
122	मण्डला	शासकीय आयुर्वेद औष. निवास	सी.एच.सी. निवास
123	छिन्दवाड़ा	शासकीय आयुर्वेद औष. सिंगोड़ी	पी.एच.सी. सिंगोड़ी
124	छिन्दवाड़ा	शासकीय आयुर्वेद औष. बिछुआ	पी.एच.सी. बिछुआ
125	छिन्दवाड़ा	शास. आयुर्वेद औष. कुण्डा	पी.एच.सी. कुण्डा
126	सिवनी	शासकीय आयुर्वेद औष. पलारी	पी.एच.सी. पलारी
127	सिवनी	शासकीय आयुर्वेद औष. सुनवारा	पी.एच.सी. सुनवारा
128	सिवनी	शासकीय आयुर्वेद औष. धूमा	पी.एच.सी. धूमा
129	सिवनी	शासकीय आयुर्वेद औष. भोमा	पी.एच.सी. भोमा
130	सिवनी	शासकीय आयुर्वेद औष. गोरखपुर	पी.एच.सी. गोरखपुर


2/ ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नामकरण "एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय" किया जावे।




3/ जनहित में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्तानुसार जानकारी प्रदर्शित की जाने की दृष्टि से ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों को "इन्टीग्रेटेड प्राथमरी हेल्थ केयर केन्द्र" के रूप में विकसित किया जाये एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

4/ आदेश दिनांक 03.02.2017 में क्रमांक 26 एवं 89 पर अंकित औषधालयों के नाम क्रमशः औषधालय न होने के कारण व यूनानी औषधालय होने के कारण विलोपित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


25/03/17

(शिखा दुबे)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
आयुष विभाग



(गौरी सिंह) 27/3
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल दिनांक 31/03/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त आयुष की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संभागीय आयुष अधिकारी जिला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित जिला आयुष अधिकारी जिला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित सी.एम.एच.ओ. जिला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव
म0प्र0 शासन
आयुष विभाग